

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

निदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

(१८)

यादी क्रमांक टीएस/टूलकिट/महिला/2012-13/ 655
दिनांक: 21-5-13.

विषय:- एस.सी.एस.पी. स्कीम के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को फी टूल किट प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके नोट दिनांक 25.1.2013 के संदर्भ में।

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अधीन चल रहे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को फी टूल किट प्रति छात्र 1000/- रुपये की लेखा शीर्ष 2230 श्रम एवं रोजगार-03 प्रशिक्षण-789 स्कीम प्रशिक्षण फार एस. सी. छात्र के मद एम0 एण्ड एस0 से वहन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनके अशा: क्रमांक 1/13/2013-4FDIII/6905, दिनांक 11.3.2013 द्वारा प्रदान की गई मन्त्रणा के आधार पर जारी की जाती है। टूल-किट निम्न शर्तें अनुसार दी जानी है :-

1. सभी छात्र/छात्राओं को प्रधानाचार्य द्वारा बैंक के चैक से राशि दी जाए।
2. सभी छात्र/छात्रायें जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वह सलेबस के पैटी टूलज की सूची में अपनी आवश्यकता अनुसार खरीद करेंगे।
3. छात्र/छात्रायें खरीद के बाद उन मदों का बिल संस्थान में देंगे।
4. प्रधानाचार्य द्वारा जो राशि छात्र/छात्राओं को बैंक द्वारा दी गई है उस राशि के बिल पर छात्र/छात्राओं से प्राप्त करते समय रसीद पर छात्र/छात्राओं से पेड बाई गी0 अवश्य लिखवायें।
5. संस्थान के मुखिया द्वारा दी गई राशि का पूरा विवरण अलग रजिस्टर में मेनटेन करें।
6. छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल एक बार ही टूल किट प्रदान की जा सकती है।

(१८)

अधीक्षक (औद्योगिक प्रशिक्षण)
कृते: प्रधान सचिव, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक टीएस/टूलकिट/महिला/2012-13/ 659 दिनांक : 21-5-13

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. महा लेखाकार (लेखा/परीक्षा) सैक्टर-33-बी0 चण्डीगढ़।
2. अधीक्षक (एफ0डी0-III) वित्त विभाग को उनके अशा: क्रमांक 1/13/2013-4 FD-III/6905, दिनांक 11.3.2013 के संदर्भ में।
3. सहायक निदेशक योजना के अशा: क्रमांक KC/TP4/Tool Kit/SCSP/202, दिनांक 14.3.2013 के संदर्भ में।
4. आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी।
5. सहायक निदेशक(प्रशिक्षण-1) से अनुरोध है कि जारी को विभागीय वैबसाईड पर डालने का कष्ट करें।

(१८)